



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1462 वर्ष 2026

ऊषा देवी

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : चन्द्रशेखर शर्मा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 1 तथा 2 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 3 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह को सुना।
2. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट-प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा किया गया एक मात्र अनुरोध निर्धारित अवधि में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209(जे) के अधीन मामला सं० आरएसटी/11328 वर्ष 2025, कम्प्यूटर मामला सं० टी2025166 70611328 (रमाकांत बनाम नंद किशोर) का विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं०-2 तहसीलदार औरारी, जिला भदोही को निदेश देने के संबंध में है।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्तागण के सहमति से, वर्तमान सिंह याचिका को पूर्वोक्त मामले का विनिश्चय शीघ्रता से एवं अधिमानतः इस आदेश के प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर करने के लिए प्रत्यर्थी सं०-2 तहसीलदार औरारी, जिला भदोही को निदेशित करते हुए अंतिम रूप से निपटाया जाता है, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"